

नेपाल में सीता की जन्म स्थली जनकपुर व राम के जन्म स्थान अयोध्या को रेल लाइन से जोड़ा जायेगा

पिछले वर्ष जब नेपाल के प्र.मंत्री दिल्ली आये थे, तब प्र.मंत्री मोदी ने इस प्रोजेक्ट पर बात की थी तथा सहमति बनी थी कि शीघ्र ही रेलवे लाइन को बिछाने का काम शुरू किया जाए

-रेणु मिश्र-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 4 मार्च। प्रधानमंत्री मोदी पूरी तरह अपने हिन्दुत्व एजेण्डा पर जमे हुये हैं। राम, भाजपा और मोदी - दोनों के ही केन्द्र बिन्दु बने हुये हैं। इस सरकार ने राम को जितना अधिक काम में लिया है, उतना दावा कोई अन्य सरकार नहीं कर सकती।

मोदी की लिस्ट में नवीनतम लक्ष्य है- नेपाल के जनकपुर (सीता की जन्मस्थली) शहर तथा उत्तर प्रदेश में अयोध्या (राम की जन्मस्थली) को रेल लाइन से जोड़ना।

सीता और राम को जोड़ने वाली इस रेलवे लाइन काम काम शुरू हो गया है तथा इस प्रकार राम के आख्यान की मूखला में एक और कड़ी जोड़ी जा रही है।

नरेन्द्र मोदी मई 2018 में जब नेपाल यात्रा पर गये थे, तब उन्होंने अपनी यात्रा का सुधारण ऐतिहासिक नगरी

- यह भी तय हुआ है कि भारत इस रेलवे लाइन के पूरे प्रोजेक्ट को "फंड" करेगा।
- स्वाभाविक ही है, मोदी ही इस रेल लिंक का उद्घाटन भी करेंगे।
- इससे पूर्व, 2018 में जब प्र.मंत्री मोदी नेपाल गये थे तो उन्होंने अपनी नेपाल यात्रा का शुभारम्भ जनकपुर के ऐतिहासिक शहर से किया था। जैसा कि विदित ही है, जनकपुर में सीता का मंदिर है और मोदी ने जनकपुर में अपना भाषण "जय सियाराम" के उद्घोष से किया था।
- 2018 में ही प्र.मंत्री मोदी की यात्रा के दौरान, जनकपुर से भारत के लिये सीधी बस सेवा शुरू करने की घोषणा भी की गई थी।

जनकपुर से किया था और वहाँ स्थित सीता मंदिर गये थे। वहाँ उन्होंने अपना भाषण "जय सिया राम" से शुरू किया था। 2018 में, एक बस सेवा शुरू करने

सेवा शुरू करने की चर्चा की थी तथा इस पर दोनों के बीच सहमति बन गई थी और रेल-लाइन का काम शुरू कर दिया गया था। रेलवे लाइन का पूरा खर्च भारत सरकार वहन कर रही है।

यह भी तर्कसंगत ही है कि जब इसका पूरा वित्तीय भार भारत सरकार वहन कर रही है तो मोदी इसका उद्घाटन करना भी चाहेंगे और इस प्रकार उनका राम-एजेण्डा और आगे बढ़ेगा।

आर.एस.एस. प्रमुख पहले ही कह ही चुके हैं कि भारत को आजादी 1947 में नहीं मिली, बल्कि उस दिन मिली, जब 22 जनवरी 2023 को राममंदिर का उद्घाटन हुआ।

अभी हाल ही में, भारत और नेपाल के बीच हुई प्रतिनिधिमण्डल स्तर की वार्ता में जनकपुर -अयोध्या रेलवे लाइन को लेकर चर्चा हुई थी, क्योंकि इस लाइन का काम भारतीय रेलवे के अन्य सम्बंधित प्रोजेक्टों के साथ शुरू हो चुका है।

की भी घोषणा की गई थी। गत वर्ष, जब नेपाल के प्रधानमंत्री दिल्ली आये थे, तो प्रधानमंत्री मोदी ने जनकपुर और अयोध्या के बीच रेल-

हाईवे के किनारे अवैध शराब दुकान पर जवाब क्यों नहीं

जयपुर, 4 मार्च। राजस्थान हाईकोर्ट ने हाईवे के किनारे अवैध शराब दुकान संचालन मामले में राज्य सरकार को ओर से अदालत में जवाब पेश नहीं करने को गंभीर माना है। इसके साथ ही, अदालत ने राज्य सरकार को जवाब के लिए 18 मार्च तक का समय दिया है। अदालत ने कहा है कि यदि तब तक जवाब पेश नहीं किया जाता तो आबकारी विभाग आयुक्त हाजिर होकर स्पष्टीकरण दें कि उन्होंने जवाब क्यों नहीं दिया? जस्टिस इन्द्रजीत सिंह व भुवन गौयल को खंडपीठ ने यह आदेश नितेश शर्मा की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया।

- हाई कोर्ट का निर्देश: 18 मार्च तक जवाब नहीं दिया तो आबकारी आयुक्त हाजिर होकर जवाब दें।

सुनवाई के दौरान विभाग के अधिकारियों ने जवाब के लिए दो सप्ताह का समय मांगा, जिसका विरोध करते हुए याचिकाकर्ता के अधिकारियों ने कहा कि लंबा समय बीतने के बाद भी विभाग ने जवाब पेश नहीं किया है। इस पर अदालत ने उन्हें समय तो दे दिया, लेकिन जवाब पेश नहीं होने पर आयुक्त को पेश होने के लिए कहा है।

मामले से जुड़े अधिकारियों को जौशी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट व राजस्थान आबकारी अधिनियम के अनुसार, हाईवे किनारे ग्रामीण क्षेत्र में 500 मीटर व नगर पालिका क्षेत्र में 220 (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

अगले वर्ष के विधानसभा चुनाव की "थीम" तमिलनाडु बनाम केन्द्र बनाना चाहते हैं स्टालिन

पहले "डीलिमिटेशन" फिर तीन भाषा वाला शिक्षा नीति का मामला और अब श्रीलंका व भारत के बीच समुद्र में पेट्रोलियम व गैस के केन्द्रीय प्रोजेक्ट को तमिलनाडु बनाम केन्द्र इशू बना रहे हैं स्टालिन

-लक्ष्मण वैकट कुची-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 4 फरवरी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री केन्द्र सरकार के साथ दो-दो हाथ करने के मामले में बहुत अधीर हो रहे हैं। परिसीमन और त्रिभाषा फॉर्मूला का मसला उठाने के बाद, अब उन्होंने भारत और श्रीलंका के पश्चिमी तट के बीच स्थित गल्फ ऑफ मन्नार (मन्नार की खाड़ी) में प्रस्तावित पेट्रोलियम और गैस प्रोजेक्ट का मुद्दा उठाया है।

तमिलनाडु के विधानसभा चुनाव, जो अगले साल होने हैं, के लिए तैयारी कर रहे स्टालिन ऐसे मुद्दे उठा रहे हैं, जो उन्हें विधानसभा चुनावों को केन्द्र बनाम तमिलनाडु के संघर्ष में बदलने में मदद देंगे और उन्हें तमिलनाडु का प्रतिनिधित्व करने वाले नेता के रूप में पेश करेंगे। चूंकि मन्नार एक बड़ा वोट बैंक है, इसलिए स्टालिन ने यह मुद्दा उठाया है और इसे मन्नार के आरों की आजीविका व रोजगार से जोड़ा है।

स्टालिन और द्रमुक को तमिल मीडिया का भी पूर्ण समर्थन मिल रहा है, इसलिए उनका संदेश जनमानस तक अन्य दलों की तुलना में ज्यादा आसानी से पहुंच रहा है। द्रमुक का अपना मोडिबा भी है। स्टालिन ने गल्फ ऑफ मन्नार के मुद्दे पर प्रधानमंत्री को जो पत्र लिखा, उसकी विषय वस्तु भी आम जनता तक पहुंचाई जा चुकी है।

स्टालिन ने अपने पत्र में लिखा है कि प्रस्तावित ऑफशोर प्रोजेक्ट क्षेत्र के नाजुक इकोसिस्टम को नष्ट कर देगा।

- स्टालिन का प्रयास है कि ऐसी छवि बने कि वे (स्टालिन) तो तमिलनाडु के हितों के रक्षक व प्रहरी के रूप में दिखें और केन्द्रीय सरकार ऐसी नजर आये कि वो तमिलनाडु को कमजोर करना चाहती है तथा तमिलनाडु के हितों के खिलाफ काम करने पर आमादा है।
- क्योंकि, तमिलनाडु में डीएमके का मजबूत कैंडर है तथा तमिल मीडिया का एक बड़ा वर्ग भी डीएमके का समर्थक है, स्टालिन का राजनीतिक "मैसेज" आसानी से जनता के बीच पहुंच जाता है। अतः किसी हद तक स्टालिन को सफलता भी मिल रही है, अगले विधानसभा चुनाव को तमिलनाडु व केन्द्र के बीच संघर्ष बनाने में।

इससे समुद्र के पर्यावरण को इतना भारी नुकसान पहुंचेगा कि उसकी कभी भी भरपाई नहीं हो सकेगी और इससे लाखों तमिलों की आजीविका भी प्रभावित होगी।

उन्होंने प्रधानमंत्री से प्रोजेक्ट की अधिसूचना वापस लेने का आग्रह किया तथा कहा कि इस बारे में राज्य के मुख्यमंत्री से बात नहीं की गई। (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ के 17 दिन बाद रेलवे ने "एक्शन" लिया

दिल्ली के मंडल रेल प्रबंधक सुखविंदर सिंह को हटाया

नयी दिल्ली, 04 मार्च। राजधानी के नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 15 फरवरी की रात को हुई भगदड़ की घटना के 17 दिन बाद, भारतीय रेलवे ने कड़ी कार्रवाई की और दिल्ली के मंडल रेल प्रबंधक सुखविंदर सिंह को आज उनके पद से हटा दिया।

रेलवे बोर्ड ने आज जारी एक आदेश में भारतीय रेलवे इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग सेवा के अधिकारी पुष्पेश आर. त्रिपाठी को दिल्ली का नया मंडल रेल प्रबंधक नियुक्त किया गया है और सुखविंदर सिंह (भारतीय रेलवे इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग सेवा) की फिलहाल कोई नियुक्ति नहीं की गयी है और उन्हें प्रतीक्षारत रखा गया है। त्रिपाठी इस समय उत्तर मध्य रेलवे

नाबालिग से अश्लीलता पर घरेलू नौकर को 7 साल की सजा

जयपुर, 4 मार्च। पाँक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-2 महानगर प्रथम ने छह साल की बालिका को अकेला देखकर उसके साथ अश्लीलता करने वाले घरेलू नौकर को सात साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही, अदालत ने अभियुक्त पर 25 हजार रूपए का जुर्माना भी लगाया है। पीठासीन अधिकारी तिरुपति कुमार गुप्ता ने अपने आदेश में कहा कि अभियुक्त ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म करने की नीयत से कृत्य किया। यदि पीड़िता बैल्ट चुभने से रोती नहीं और अभियुक्त उसका जम्पसूट उतारने में कामयाब हो जाता तो वह

- छः साल की बेटे के पिता ने अप्रैल 2021 में श्याम नगर थाने में रिपोर्ट कराई थी।

निश्चित रूप से उसके साथ दुष्कर्म करता। ऐसे में अभियुक्त के प्रति नरमी का रुख नहीं अपनाया जा सकता।

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक राकेश महर्षि ने अदालत को बताया कि घटना को लेकर पीड़िता के पिता ने 22 अप्रैल, 2021 को श्याम नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा गया कि वह अपनी पत्नी के साथ बाहर गया हुआ था। घर पर उनका नौकर था। रात को जब वह वापस लौटे तो उनकी छह साल की बेटे

- रेलवे बोर्ड ने एक आदेश जारी कर भारतीय रेलवे इलेक्ट्रिक सेवा के अधिकारी पुष्पेश आर. त्रिपाठी को नया मंडल रेल प्रबंधक बनाया है। सुखविंदर सिंह को "वेटिंग" में रखा गया है।
- भगदड़ की घटना की जाँच के लिए दो सदस्यीय उच्च स्तरीय कमेटी घोषित की गई है। कमेटी की रिपोर्ट अभी नहीं आई है, पर, सूत्रों ने कहा, सुखविंदर सिंह को हटाने की कार्यवाही के पीछे "भगदड़" ही मुख्य कारण है।

में प्रयागराज में मुख्य इलेक्ट्रिक लोको इंजीनियर के पद पर कार्यरत हैं।

उल्लेखनीय है कि शनिवार 15 फरवरी की रात करीब साढ़े नौ बजे दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़, जिसमें कई जाने गई थीं, की जाँच के लिए दो सदस्यीय उच्चस्तरीय कमेटी गठित की गयी थी, जो घटना के हर पहलू की बारीकी से जांच कर रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस घटना को अत्यंत गंभीरता से लिया है और

जांच की रिपोर्ट के आधार पर कड़ी एवं निष्पक्ष कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है।

सूत्रों ने बताया कि जांच समिति की रिपोर्ट अभी नहीं आयी है। हालांकि, सूत्रों ने दिल्ली के मंडल रेल प्रबंधक को हटाने का कारण पूछे जाने पर भगदड़ की घटना की ओर संकेत किया है। सूत्रों ने यह भी संकेत दिया कि इस घटना में एक और बड़े अधिकारी पर भी कार्रवाई होने की संभावना है।

हाई कोर्ट ने 19 मार्च को शिक्षा निदेशक को तलब किया

जयपुर, 4 मार्च। राजस्थान हाईकोर्ट ने महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल में नियुक्ति के मामले में शिक्षा निदेशक को 19 मार्च को अदालत में हाजिर होकर बताने को कहा है कि अदालती आदेश के बावजूद, याचिकाकर्ताओं के अभ्यावेदन तय क्यों नहीं किए गए। अदालत ने स्पष्ट किया है कि यदि तब तक आदेश की पालना में

- अदालत के आदेश के बावजूद महात्मा गाँधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल में नियुक्ति क्यों नहीं दी।

अभ्यावेदन तय कर दिए जाते हैं तो शिक्षा निदेशक को हाजिर होने की जरूरत नहीं है। जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने ये आदेश रणजीत सिंह व अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया गया कि याचिकाकर्ता पूर्व से ही शिक्षक पद पर कार्यरत हैं। उन्होंने (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

केजरीवाल दस दिवसीय विपश्यना ध्यान शिविर में शामिल होंगे

केजरीवाल और उनकी पत्नी सुनीता पंजाब में आनंदगढ़ के धम्म धजा विपश्यना सेंटर पहुंचे हैं

होशियारपुर, 4 मार्च। आम आदमी पार्टी (आप) के संयोजक अरविंद केजरीवाल मंगलवार शाम होशियारपुर से करीब 14 किलोमीटर दूर चोहाल स्थित वन विग्राम गृह गए।

आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, केजरीवाल के साथ उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल भी हैं। वे कल होशियारपुर से करीब 11 किलोमीटर दूर आनंदगढ़ गांव में स्थित धम्म धजा विपश्यना केन्द्र (डीडीवीसी) में 10 दिवसीय विपश्यना ध्यान शिविर में शामिल हो सकते हैं। केजरीवाल लंबे समय से विपश्यना का अभ्यास कर रहे हैं और प्राचीन ध्यान प्रणाली का अभ्यास करने के लिए पिछले वर्षों में जयपुर, नागपुर, धर्मशाला (हिमाचल प्रदेश) के पास धरमकोट और बेंगलुरु सहित कई स्थानों पर गए हैं। यह दूसरी बार है, जब केजरीवाल विपश्यना ध्यान के लिए आनंदगढ़ आए

- वे इससे पहले वर्ष 2023 में 21 दिसम्बर से 30 दिसम्बर तक इसी केन्द्र में विपश्यना का कोर्स कर चुके हैं।

केजरीवाल लम्बे समय से विपश्यना का अभ्यास कर रहे हैं और प्राचीन ध्यान प्रणाली का अभ्यास करने के लिए पिछले वर्षों में जयपुर, नागपुर, धर्मशाला (हिमाचल प्रदेश) के पास धरमकोट और बेंगलुरु सहित कई स्थानों पर गए हैं। यह दूसरी बार है, जब केजरीवाल विपश्यना ध्यान के लिए आनंदगढ़ आए

हैं। इससे पहले उन्होंने 21 दिसंबर से 30 दिसंबर 2023 तक केन्द्र में इसी तरह का एक कोर्स किया था।

विपश्यना एक प्राचीन भारतीय ध्यान तकनीक है, जो आत्म-अवलोकन के माध्यम से आत्म-परिवर्तन पर केन्द्रित है। इसका अभ्यास करने वाले, शारीरिक संवेदनाओं का ध्यानपूर्वक अवलोकन करते, मन और शरीर के बीच गहरे अंतर्संबंध का पता लगाते हैं, अंततः मानसिक अशुद्धियों को दूर करते हैं। धम्म धजा विपश्यना ध्यान केन्द्र के प्रवक्ता ने कहा कि विपश्यना ध्यान बौद्ध (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुच की एफआईआर पर चार सप्ताह की रोक लगाई

मुंबई 04 मार्च। सेबी की पूर्व चीफ माधवी पुरी बुच को बॉम्बे हाईकोर्ट से राहत मिली है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक स्पेशल कोर्ट के उस आदेश पर चार सप्ताह के लिए रोक लगा दी, जिसमें माधवी पुरी बुच और पांच अन्य अधिकारियों के खिलाफ शेयर बाजार में धोखाधड़ी और रेगुलेटरी उल्लंघन के आरोप में एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया गया था। हाईकोर्ट ने कहा कि ये आदेश "मैकेनिकल तरीके से, यानी बिना तथ्यों की जांच परख के दिया गया था।"

सिंगल बेंच जज शिवकुमार डिगे ने कहा कि 1 मार्च को स्पेशल कोर्ट की ओर से दिया गया आदेश बिना विस्तार में जाए और आरोपियों की कोई विशिष्ट भूमिका तय किए बिना ही पारित किया गया था। कोर्ट ने कहा कि "इसलिए, अगली सुनवाई तक इस आदेश पर रोक रहेगी। मामले में शिकायतकर्ता

- हाईकोर्ट ने कहा कि एफआईआर दर्ज करने का आदेश "मैकेनिकल" तरीके से यानी बिना तथ्यों की जांच परख किये दिया गया था।

(सपन श्रीवास्तव) को याचिकाओं के जवाब में हलफनामा दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया जाता है।

हाईकोर्ट का ये फैसला बुच, सेबी के तीन मौजूदा होलटाइम डायरेक्टर्स अश्वनी भाटिया, अनंत नारायण और कमलेश चंद्र वाघेय और के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ रामामूर्ति और इसके पूर्व अध्यक्ष और पब्लिक इंटरैस्ट डायरेक्टर प्रमोद अग्रवाल की ओर से दायर याचिकाओं पर आया है।

इन याचिकाओं में स्पेशल कोर्ट के उस आदेश को रद्द करने की मांग की गई थी, जिसमें भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) को 1994 में बीएसई पर एक कंपनी की लिस्टिंग के दौरान हुई धोखाधड़ी के आरोपों पर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया गया था। याचिकाओं में कहा गया कि यह आदेश "अवैध और मनमाना" था।



भारत को चैंपियंस ट्रॉफी का सेमीफाइनल जिताकर फाइनल में पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई विराट कोहली ने। शानदार बल्लेबाजी के लिए उन्हें "प्लेयर ऑफ द मैच" का अवार्ड दिया गया।